

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 52/2015-2020  
नई दिल्ली दिनांक 01 जनवरी, 2020

विषय: उत्पाद समूह : खाद्य उत्पाद के मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में संशोधन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. निम्नलिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड को पुनः शामिल किया जाता है:

ई75, ई76, ई77, ई78, ई100, ई101, ई102

जिसके साथ संशोधित आयात उत्पाद के विवरण को "आईटीसी-एचएस 10059011 सहित डेंट कॉर्न (जिआ मेज़ वर. इंडेन्टा): पीला" पढ़ा जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सात खाद्य उत्पादों के संबंध में मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) को निविष्टि मद "मेज़" को तत्काल प्रभाव से "आईटीसी-एचएस 10059011 के साथ "(जिआ मेज़ वर. इंडेन्टा): पीला" के रूप में संशोधित करने के बाद पुनः शामिल किया गया है।

**अमित यादव**  
(अमित यादव)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फाइल सं. 01/94/180/199/एएम-18/पीसी-4 से जारी)